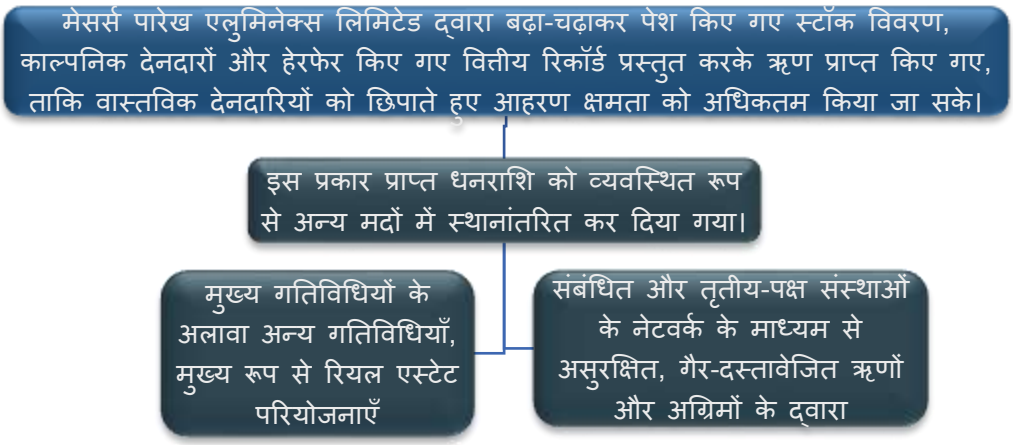
<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>04.02.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पारेख एलुमिनेक्स लिमिटेड (पीएएल) और अन्य द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र भर में स्थित फ्लैटों/प्लॉटों के रूप में **69.84 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां कमलेश कानूनगो, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर हैं।

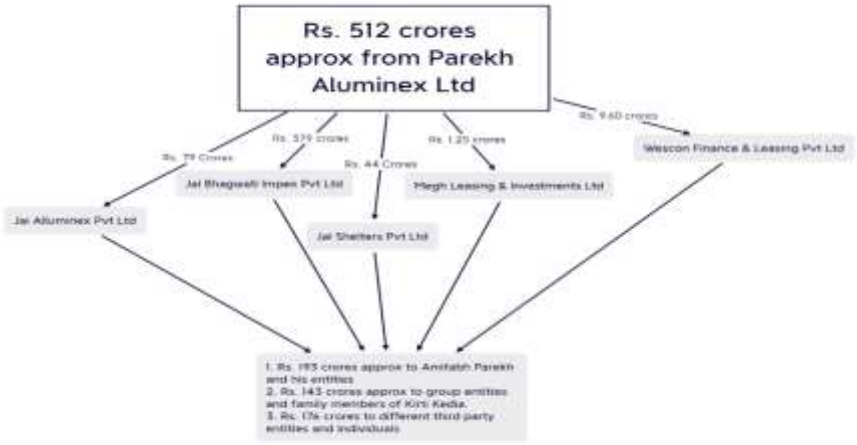
ईडी की जांच में पता चला कि पीएएल ने बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक और देनदार विवरण प्रस्तुत करके बैंकों के एक समूह से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया था और बाद में, पीएएल के लगभग 2296 करोड़ रुपये के ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि कमलेश कानूनगो अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) के प्रमुख लाभार्थी हैं, जिन्होंने लगभग 1270 करोड़ रुपये प्राप्त किए और उसका उपयोग किया, जो कुल 2296 करोड़ रुपये के पीओसी का हिस्सा है। इस ऋण से इंडियन ओवरसीज बैंक और सोलह अन्य बैंकों के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को अनुचित रूप से नुकसान हुआ।



इससे पहले, ईडी ने इस मामले में लगभग 205 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था और मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत संख्या 1069/2020 दायर की थी, जिन्होंने अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच से पता चला कि 1270 करोड़ रुपये में से कमलेश कानूनगो ने कीर्ति केडिया की 5 संस्थाओं पर कब्ज़ा करके 355 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की और उसका लाभ उठाया *[केडिया*

कंपनियों से देय 355 करोड़ रुपये = पीएएल से 512 करोड़ रुपये माइनस पारेख संस्थाओं को लौटाए गए 193 करोड़ रुपये और केडिया कंपनियों के माध्यम से कानूनगो को भुगतान किए गए 36 करोड़ रुपये]। इस संबंध में, कमलेश कानूनगो और उनकी संस्थाओं के नाम पर लगभग 218 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए दिनांक 20.06.2025 को कुर्की आदेश जारी किया गया था।



आगे की जांच के दौरान, कमलेश कानूनगो, उनकी पत्नी डिंपल कानूनगो और कमलेश कानूनगो के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर और भी अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उक्त अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए दिनांक 02.02.2026 का यह कुर्की आदेश जारी किया गया है, जिनकी कीमत 69.84 करोड़ रुपये है।

अब तक, ईडी ने पीओसी की वसूली के लिए कमलेश कानूनगो, उनकी पत्नी और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं की **लगभग 493 करोड़ रुपये** की कुल संपत्ती कुर्क कर ली है जो कमलेश कानूनगो के पास मौजूद पीओसी है और कुल 2,296 करोड़ रुपये के पीओसी का हिस्सा है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।





